पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

सूचना का अधिकार मामला

समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय ,नई दिल्ली

चीन प्रभाग

सं. ई/551/ 46 /2016-आरटीआई 27 सितम्बर, 2016

सेवा मे,

श्री राजबीर सिंह महरू
एडवोकेट चेम्बर न. 503
गली न. 10, जिला न्यायालय
सूरजपुर गौतमबुध्द नगर, उ. प्र. -201 306

विषयः सूचना का अधिनियम 2005 ,के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,

कृपया रक्षा मंत्री कार्यालय को संबोधित दिनांक 23.6.2016 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. चीन के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार हैः-

जम्मू और कश्मीर में भारत की भूमि का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके इतिरिक्त, 2 मार्च. 1963 को चीन तथा पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा-करार" के तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अवैध तरीके से चीन को सौंप दिया है।

जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अखण्ड एवं अहरणीय भाग है। यह बात उच्चतम स्तरों सहित कई अवसरों पर चीन को सूचित किया गया है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय

प्रसन्न श्रीवास्तव

(प्रसन्न श्रीवास्तव), IFS

उपसचिव (चीन और कोरिया), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री संदीप कुजूर, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

आर टी आई मामला/सामान्य

सं. ए-43020/01/2016-आर टी आई– 4478

5193

09/09/16

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 06/09/2016

1596/2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री राजबीर सिंह महरू के आवेदन का अंतरण।

****

इस मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/कुमारी/सुश्री~~ राजबीर सिंह महरू का दिनांक 23.6.2016 का आवेदन अंतरण द्वारा प्राप्त हुआ है (इस मंत्रालय में दिनांक 01.9.2016 को रक्षा मन्त्रालय द्वारा प्राप्त)। चूंकि अपेक्षित सूचना विदेश मंत्रालय/~~विभाग/कार्यालय~~ से संबंध रखती है/के कार्यों से निकटता से संबंधित है, अत:, आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषयवस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को आगे उस लोक प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

3. आवेदक ने रक्षा मन्त्रालय में रसीद ~~संख्या~~ .... दिनांक ../../2016 ~~(प्रति संलग्न) के माध्यम से~~ 10/- रु. का निर्धारित शुल्क अदा कर दिया है/~~अदा नहीं किया है क्योंकि वह गरीबी की रेखा से नीचे के वर्ग से संबंधित है~~।

संलग्नक: यथोपरि

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)

उप सचिव (स्था) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

अवर सचिव (आर टी आई)

विदेश मन्त्रालय

जवाहर लाल नेहरू भवन

[illegible] जनपथ, नई दिल्ली

USC(hind)

Shv 9/9

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित :-

श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री राजबीर सिंह महरू

एडवोकेट चैम्बर नं० 503

गली नं० 10, जिला न्यायालय

सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर - 201306

(उनसे अनुरोध है कि आगे की सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

Dy. No.4478../2016-RTI
02/09/16

(18)

Tele : 011-23019585
ASCON : 35676

मंत्रालय
... of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi
01 SEP 2016
.र.सं. 840333
.R. No.......
पी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक/CR Section/N..

ACCORD PRIORITY
TIME BOUND RTI CASE

RTI Cell, Addl DG MT(AE)
G-6, D-1 Wing
Sena Bhawan, Gate No-4
IHQ of MoD (Army)
New Delhi -110011

A/810027/RTI/24677

26 Aug 2016

Dy Secretary & CPIO
Ministry of Home Affairs North Block,
New Delhi-110001

RIGHT TO INFORMATION ACT - 2005
SHRI RAJBIR SINGH MAHERO, ADVOCATE

1. Please find **enclosed** copy of RTI application dated 23 Jun 2016, preferred by above named applicant, seeking information under RTI Act 2005.

2. Since the subject of information **wrt queries** of ibid RTI application, pertains to/is more closely related to the functions of your office/office under your jurisdiction, the application, is therefore, transferred to your office under the provisions of **Section 6 (3)** of Right to Information Act 2005. You are requested to provide information **wrt queries**, **directly** to the applicant.

3. Application processing fee has been received by the office MoD D/RTI.

4. While forwarding info/denial of info to the applicant, address of the First Appellate Authority must be specified/mentioned so that applicant is able to prefer an appeal, if he/she wishes to do so.

5. In case the subject matter does not pertain to your office, **please transfer the same to appropriate office**.

ADG MT (AE)
RTI CELL
NEW DELHI-11
IHQ of MoD (Army)

(ADS Jasrotia)
Lt Col
GSO-1 (RTI)
for CPIO of Indian Army

Enclosures : As above.

Copy to :-

Shri Rajbir Singh Mahero,
Advoicate
Chamber No 503, Gali No 10
District Court, Surajpur
Gautam Budh Nagar
(UP)- 201 306

1. Further to this office letter No A/810027/RTI/24677 dated 21 Jul 2016.

2. Your ibid RTI application is being transferred to above PIO under **Section 6 (3)** of Right to Information Act 2005. You are therefore, requested to correspond with them directly with respect to **queries** of ibid RTI application.

MEA

5/9

S.O. S.S.
05/09/16

Tfr/Ibl/Dv/**

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की [illegible] 6 ([illegible]) और 6 ([illegible]) के [illegible] आवेदन

सेवा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी

रक्षा मंत्रालय भारत सरकार

विषय : RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत सियाचिन के सम्बन्ध में सूचना दे।

महोदय जी

1. कृपया सूचना दे कि चीन देश ने हमारे देश भारत की भूमि सियाचिन की कितनी भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है ?

2. कृपया ये भी बतायें की भारत सरकार [illegible]

यदि उपरोक्त सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित नहीं [illegible] अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तान्तरित करे। साथ ही अधिनियम के [illegible] के अनुसार सूचना उपलब्ध करते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताये।

दिनांक 23.6.16

D.D/P.O.N 34F 806523

भवदीय

राजबीर सिंह महरु (एडवोकेट)

चैम्बर न. 503 गली न. 10 [illegible]

[illegible] गौतम बुद्ध नगर 201[illegible]

मोबाईल न. [illegible]880